

**राजस्थान सरकार  
निवेशालय, समैक्यत बाल विकास सेवाएं  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर**

**क्रमांक:एक.3(8)पोषा / सबला / ICDS / 2010 /**

**जयपुर, दिनांक:**

**उप निदेशक**

महिला एवं बाल विकास विभाग,  
जयपुर, उदयपुर, बासवाडा, दूंगरपुर,  
जोधपुर, बाढ़नेर, बीकूनर, श्रीगंगानगर,  
आलादाड एवं भीलवाडा।

**विषय:-** सबला योजनान्तर्गत विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के भाष्यम से पूरक  
पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।

**प्रसंग:-** समसंचयक विभागीय पत्रांक 11369-378 दिनांक 24.02.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जिन बाल विकास परियोजनाओं में  
आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धानी महिलाओं हेतु विकेन्द्रीयकृत पूरक  
पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है, उन परियोजनाओं में सबला योजनान्तर्गत किशोरी  
बालिकाओं को भी स्वयं सहायता समूहों के भाष्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के  
संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्ष 2015-16 के शीतान सबला योजना के द्विग्राम्ययन के संबंध में भारत सरकार  
से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होने कारण निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2015 के  
पश्चात सबला योजनान्तर्गत स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों से पूरक पोषाहार का  
क्रय आगामी आदेशों तक नहीं किया जायें।

१५  
**(डॉ. पृथ्वी)**  
निदेशक

समैक्यत बाल विकास सेवाएं,  
राजस्थान, जयपुर

**क्रमांक:एक.3(8)पोषा / सबला / ICDS / 2010 / दि। १०। - २२५**

**जयपुर, दिनांक: २५/३/१५**

**प्रतिलिपि सुझावर्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समैक्यत बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (एसएचजी) महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी।
6. कम्यूटर प्रोग्राम, मुख्यालय को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.सी.ना.)  
**अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)**